# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ. (राज.)

पीठासीन अधिकारी

शुभम चौधरी (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

| प्रकरण संख्या | GCMS प्रकरण संख्या | दर्ज दिनांक | फैसल दिनांक |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | 2024/385 | 06.09.2024 | 28.04.2026 |

1. श्री शम्भुलाल पिता मांगीलाल धाकड़ उम्र 50 वर्ष निवासी पीथलवड़ी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़(राज0)

—: अपीलार्थी

—: बनाम :—

1. श्री सीताराम पिता मांगीलाल धाकड़ उम्र 40 वर्ष निवासी पीथलवड़ी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़(राज0)
2. श्री सरपंच ग्राम पंचायत पीथलवड़ी पं.स. छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़(राज0)
3. श्री सचिव, ग्राम पंचायत पीथलवड़ी पं.स. छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़(राज0)

—: विपक्षी

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध आबादी पट्टा क्रमांक 13 एवं 15 दिनांक 08.06.2018 ग्राम पंचायत पीथलवड़ी कला पं.स. छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ को निरस्त करने बाबत्।

उपस्थिति :—

3. श्री रामप्रसाद पाटीदार और कमलेश सुथार (अधिवक्ता अपीलार्थी/निगरानीकार)
4. श्री प्रमोद तंबोली (अधिवक्ता विपक्षी)

—: आदेश :—  दिनांक 28.04.2026

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/निगरानीकार द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध आबादी पट्टा क्रमांक 13 एवं 15 दिनांक 08.06.2018 ग्राम पंचायत पीथलवड़ी कला पं.स. छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ के संबंध में प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पीथलवड़ी कला के आबादी क्षेत्र में 70 X 40 = 2800 वर्गफीट जिसका विवरण पडौस — पूर्व में रास्ता भंवरमाता—पिथलवड़ी मार्ग, पश्चिम में मथुरालाल जी का बाड़ा, उत्तर में फूलचन्द जी धाकड़ का मकान एवं दक्षिण में 5 फीट की गली के बाद श्री सोनु सुथार का मकान स्थित है। उक्त भू—खड़ बाडे पर अपीलार्थी/निगरानीकार एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता श्री मांगीलाल पुत्र ताराचन्द्र धाकड़ के विगत 60 वर्षो से कब्जे में था जिससे उक्त भू—खण्ड़ बाड़ा भूमि पर अपीलार्थी/निगरानीकार एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01



जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

के अतिरिक्त एक अन्य भाई श्री अनील भी था जिसकी लापत्नि एवं लाऔलाद फौत हो चुका है का भी 1/3 –1/3 हक हिस्सा बनता है।

किन्तु अपीलार्थी/निगरानीकार से व्यापार व्यवसाय हेतु बाहर निवासरत् रहते हुए उक्त भू–खण्ड़/बाड़ा भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व मृतक भाई श्री अनील के नाम से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के साथ मिली भगत करते हुए ग्राम पंचायत पीथलवड़ी कला से आवासीय पट्टा 15 दिनांक 08.06.2028 क्षेत्रफल 70 X 20 = 1400 वर्गफीट रेस्पोडेन्ट संख्या –1 (सीताराम) के नाम से तथा आवासीय पट्टा 13 दिनांक 08.06.2028 क्षेत्रफल 1270 वर्गफीट अपीलार्थी/निगरानीकार एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के मृतक भाई श्री अनील पिता मांगीलाल धाकड़ के नाम से जारी करवाया गया। जबकि उक्त भू–खण्ड़ बाड़ा भूमि के पश्चिम दिशा में अपीलार्थी/निगरानीकार का इन्द्राआवास स्वीकृत होकर मकान बना हुआ है जिससे उक्त बाड़ा भू–खण्ड़ भूमि में अपीलार्थी का भी हक हिस्सा होने के पट्टा विलेखों में वर्णित भूमि रकबा क्षेत्र पैतृक सम्पत्ति का हिस्सा होकर अपीलार्थी/निगरानीकार का भी हक हिस्सा होने अनुसार ग्राम पंचायत पीथलवड़ीकला द्वारा जारी आवासीय पट्टा विलेख बिना किसी समुचित जांच एवं रिकार्ड रिपोर्ट के जारी किये जाने से निरस्त योग्य है।

अतः प्रस्तुत अपील/निगरानी मय मियाद क्षम्य प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या –1 व अपीलार्थी के मृतक भाई के नाम से जारी विवादित आवासीय पट्टा विलेख क्रमांक 13 एवं 15 दिनांक 08.06.2018 को निरस्त फरमावें तथा उक्त भू–खण्ड़ पट्टा विलेखों में वर्णित भूमि रकबा क्षेत्र में अपीलार्थी/निगरानीकार का भी 1/3 वर्तमान हक हिस्सा 1/2 के अनुसार अपीलार्थी/निगरानीकार के नाम से पट्टा जारी करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत अपील/निगरानी दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर रेस्पोडेन्ट/विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामील रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट संख्या–1 कि ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार तम्बोली उपस्थित हो जवाब दिनांक 28.05.2025 को प्रस्तुत किया गया जो शामील पत्रावली है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की बाद तामील रिपोर्ट श्री कन्हैयालाल ग्राम विकास अधिकारी पदेन सचिव ग्राम पंचायत पीथलवड़ी कला एवं सरपंच श्री गणपतलाल ग्राम पंचायत पीथलवड़ी कला स्वयं उपस्थित अधिनस्थ से रिकार्ड तलबी हेतु न्यायालय हाजा से जारी तहरीर पत्र दिनांक 18.10.2024 के क्रम में कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड विवादित पट्टा विलेखों के आधार पर अपील/निगरानी निगरानीकार/अपीलार्थी बहस सूनवाई हेतु नियत की गई।

पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21.04.2026 को पेश हुई वकुलाय पक्षकार उपस्थित बहस अन्तिम उभयपक्ष सूनी गई दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थी/निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत अपील/निगरानी में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि राजस्व ग्राम पीथलवड़ीकला में अपीलार्थी/निगरानीकार एवं रेस्पोडेन्ट/विपक्षी संख्या–1 के पिता श्री मांगीलाल पुत्र ताराचन्द्र धाकड़ के



जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

कब्जेयापता भू–खण्ड़/बाड़ा भूमि रकबा 70 X 40 = 2800 वर्गफीट भू–खण्ड़ भूमि में अपीलार्थी/निगरानीकार का भी 1/3 हक हिस्सा कायम होता है फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या –1 व अपीलार्थी/निगरानीकार के लापत्नि/लाऔलाद भाई श्री अनील द्वारा उक्त भू–खण्ड़ के दो आवासीय पट्टे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 से मिली भगत करते हुए तैयार करवा लिये। चुँकी अपीलार्थी/निगरानीकार विगत 25–26 वर्षो से व्यापार/व्यवसाय हेतु बाहर निवास करता है यद्यपि अपीलार्थी/निगरानीकार का ग्राम में स्वीकृत इन्द्राआवास का मकान होकर वक्त जरूरत् एवं अपनी माता के देखरेख करने हेतु ग्राम में आता जाता रहता है फिर भी अपीलार्थी/निगरानीकार के लाऔलाद मृतक भाई की मृत्यु दिनांक 22.03.2024 के पश्चात् पैतृक सम्पतियों के बटवारे की आपसी बातचित के दौरान ध्यान में आया कि अपीलार्थी/निगरानीकार के पिता के कब्जेयाप्ता भू–खण्ड़/बाडा भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या–1 व मृतक भाई अनील के नाम से पट्टा जारी हो चुका है जिसकी विधिवत् जानकारी हेतु अपीलार्थी/निगरानीकार द्वारा सूचना का अधिकार के तहत् आवेदन भी प्रस्तुत किया था तथा विकास अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने तथा विवादित आबादी पट्टा विलेखों से संदर्भित रिकार्ड दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में यह अपील/निगरानी युक्ति–युक्त आधारों पर विलम्ब माफी प्रार्थना पत्र के साथ श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जिसे मेरिट आधार पर स्वीकार फरमाते हुए विवादित आवासीय भू–खण्ड़ पट्टा विलेखों को अपास्त फरमाते हुए अपीलार्थी/निगरानीकार के हक हिस्से अनुसार संशोधित पट्टा विलेख जारी करने का आदेश फरमावे।

इसी प्रक्रम में उपस्थित अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा अपील/निगरानी मेमों में वर्णित कथनों का खण्ड़न करते हुए प्रस्तुत जवाब के हवाले से अवगत कराया कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 एवं मृतक भाई अनील के पक्ष में जारी पट्टाकृत भू–खण्ड़ भूमि पैतृक सम्पति होने तथा उक्त भूमि में अपीलार्थी/निगरानीकार का हक हिस्सा होना साबित नहीं होता है तथा यद्यपि अपीलार्थी/निगरानीकार उक्त भू–खण्ड़/बाड़ा भूमियों में अपना उत्तराधिकार मौरूषी आधार पर करता है तो अपीलार्थी/निगरानीकार एवं रेस्पोडेन्ट के पिता से अन्य जायन्दा बहिने भी है उन्हें पक्षकार नहीं माना है तथा अपीलार्थी/निगरानीकार स्वयं के द्वारा स्वीकार किया गया है कि वह विगत 25–26 वर्षो से ग्राम से बाहर निवास करता है तथा उसके पास इन्द्रा आवास का मकान भी स्वीकृत है ऐसी स्थिति में आक्षेपित आवासीय पट्टा विलेखों में उसका कोई हक हिस्सा अधिकार स्थापित नहीं होता है यद्यपि वह अपने उत्तराधिकार के आधार पर हक हिस्सा स्थापित करना चाहता है तो वह सिविल न्यायालय से अपने अधिकार साबित करे पट्टा विलोपन का उसे अधिकार नहीं है तथा प्रस्तुत अपील काफी विलम्ब पट्टा निष्पादन वर्ष 2018 के बाद 2024 में लगभग 6 वर्षो के बाद निराधार तथ्यों के साथ प्रस्तुत की गई है जबकि धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत् निगरानी हेतु अधिकतम 90 दिवस की अवधी विहित की गई है। अतः अपील/निगरानी निगरानीकार मियाद बिन्दु एवं मेरिट आधार के अभाव में खारीज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से ज्ञात आया कि अपीलार्थी/निगरानीकार द्वारा आक्षेपित विवादित आवासीय भू–खण्ड़ पट्टा विलेखों की भूमि में किस प्रकार हितबद्धता रखता है साबित करने में असफल रहा है तथा प्रस्तुत अपील/निगरानी प्रकरण में प्रस्तावित प्रचलित विधि धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 के विहित अपील/निगरानी प्राधिकार हेतु नियत अवधी 90 दिवस से काफी विलम्ब के साथ बिना किसी युक्ति–युक्त मेरिट आधारों पर प्रस्तुत की गई है। निगरानीकार द्वारा यह माना गया है कि वह अन्यत्र स्थान पर कार्य करता है। उनके द्वारा दोनों पट्टे जारी करने की प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं होना बताया गया है बल्कि अपने वारिसाना अधिकार प्राप्त करने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। जहां तक आवासीय पट्टाकृत भू–खण्ड/बाडा भूमियों पर अपीलार्थी/निगरानीकार एवं रेस्पोडेन्टगण के पिता श्रीमांगीलाल धाकड़ के समय से कब्जा यापता होने के आधार पर अपीलार्थी/निगरानीकार उक्त भू–खण्ड़/बाड़ा भूमि में अपने पैतृक (मौरूषी) उत्तराधिकार के अनुसार हक हिस्सा होने के आधार पर क्लेम करता है तो उक्त परिस्थितियों में उन्हें सिविल कोर्ट में दावा पेश करना चाहिए था व उक्त भू–खण्ड़ बाड़ों के पैतृक मौरूषी होना साबित करने के साथ उसकी अन्य बहिनों का भी हिस्सा कायम होना चाहिए था। परन्तु निगरानीकार द्वारा इस तथ्य को भी छिपाया गया है। चूँकी प्रस्तुत प्रकरण आवासीय पट्टा विलेखों की वैधता/अवैधता निस्तारण से संबंधित होने अनुसार विचारण न्यायालय को पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 में विहित प्रावधानों/प्राधिकारों से परे निर्णय का श्रृवणाधिकार/क्षेत्राधिकार नहीं होने से अन्य बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी/निगरानीकार चाहे तो सक्षम स्तर से दादरसी प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है। किन्तु आक्षेपित पट्टा विलेखों के संबंध में कोई अवैधानिकता रिकार्ड पर दर्शित नहीं होने की स्थिति में अपील/निगरानी निगरानीकार मियाद बिन्दु के साथ मेरिट आधार पर सिद्ध योग्य प्रतीत नहीं होती है।

अतः अपील/निगरानी निगरानीकार खारीज की जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को सरे इजलास सुनाया जाकर लिखाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़